


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1888 / 2008.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- मै0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 जयपुर, बनाम उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, जयपुर एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडन दस्ता- अलवर, वर्तमान स0वा0क0 अधिकारी, ए/ई, सर्किल-अलवर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
20.03.2015	<p style="text-align: center;">एकलपीठ कैम्प-जयपुर श्री मदनलाल - सदस्य</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री रामकरण सिंह, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 1888 / 2008 / जयपुर जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  20.3.2015 (मदन लाल) सदस्य </p>	